आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम संख्या 234/13–14

रविन्द्र कुमार वनाम् शहजानंद सिंह एवं अन्य

आदेश

31.05.14

आवेदक रविन्द्र कुमार पिता स्व० सूर्यदयाल सिंह ग्राम इन्दरपुर कोचहासा थाना किंजर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम इन्दरपुर कोचहसा थाना किंजर थाना नं० 59 जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
196 नया 173 पुराना 196 नया 49 पूरानाा	3882 2621 3883 2620 3877 2622 3884 2619 3878 2625	मिलजुमले एराजी 06 डी०	उतर– शभ्भू महाराज दक्षिण– गली पूरब– रास्ता पश्चिम– विपक्षीगण

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि को आवेदक ने दिनांक 27.04.99 को श्रीमती सुमान्ती देवी पति नवल किशोर सिंह से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किये है और खरीदगी के पश्चात् शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है और अपने मशरफ के अनुसार जोत कोड़ व आबाद करते आ रहे है।

(2) विपक्षीगण अपनी दबंगता के बदौलत आवेदक के खरीदगी भूमि में बढ़ कर मकान बनाने हेतु दावा खोदने लगे तो आवेदक ने विपक्षीगण को अपना जमीन नापी कराने को कहा जिसे विपक्षीगण द्वारा नहीं माना गया और बाजबर्दस्ती मकान बनाने हेतु दावा खोद रहे है।

(3) विपक्षीगण ने 2 डी० जमीन खरीदने की जो बात कही है,वह सत्य है। परन्तु सादा केवाला द्वारा 1 डी० भूमि खरीदने की बात गलत है। दाखिल सादा केवाला फर्जी है और 05.06.1967 का है। श्रीमान् विदित हो कि सादा केवाला 1967 में कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) दाखिल केवाला और सादा केवाला के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि केवाला और सादा केवाला की चौहद्दी एक हीं है जो प्रमाणित करता है कि दाखिल सादा

केवाला जाली है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) खाता नं० 173 प्लॉट नं० 2621 व खाता नं० 49 प्लॉट नं० 2622,2619 वो 2624 कुल रकवा 2 डी० भूमि प्रतिवादीगण की निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है।

(2) पुनः खाता नं० 173 प्लॉट नं० 2621 व खाता नं० 49 प्लॉट नं० 2622 रकवा 2 डी० सोभन सिंह के नाम सादा केवाला के माध्यम से खरीदगी प्राप्त किया गया है।

(3) उपरोक्त 4 डी० भूमि पर प्रतिवादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा है।

(4) प्रश्नगत् भूमि बेलगान है जिसमें 4 डी० में लगभग 3 डी० भूमि में प्रतिवादीगण मकान का निर्माण कर रहे थे, जिसके पश्चात् वादी उक्त वाद का संचालन श्रीमान् के न्यायालय में कराये है।

(5) प्रतिवादीगण का केवाला पूर्व से है तथा वादी बाद में भूमि खरीदगी प्राप्त किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 27.04.99 के निबंधित केवाला के आधार पर किया है जो उन्होंने सुमान्ती देवी पति नवल किशोर सिंह से क्रय किया है। विपक्षी ने उपरोक्त खाता खेसरा की 4 डी० जमीन क्रय करने की बात कही है। परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत 2 डी० भूमि का दस्तावेज सादा केवाला है जो वर्ष 1967 का है जिसे मान्यता नही दी जा सकती है।

अतः प्राधिकार आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करती है। अंचल अधिकारी, करपी को आदेश दिया जाता है कि वे एक माह उपरान्त विवादित भूमि का नापी कराकर आवेदक को कब्जा दिलाये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

31.05

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

31.05

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।